

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ लिमिटेड और आदि।

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

निर्णय की तिथि 27 अप्रैल 1998

(जी.एन. रे और एम. श्रीनिवासन जे.जे.)

महाराष्ट्र चीनी कारखाने ;क्षेत्रों का आरक्षण और क्रशिंग और गन्ना आपूर्ति का विनियमन आदेश 1984 महाराष्ट्र द्वारा संशोधित महाराष्ट्र चीनी कारखाने ;क्रशिंग और गन्ना आपूर्ति क्षेत्रों का आरक्षण ;संशोधन आदेश 1997

खंड 3;2, चीनी कारखाने.क्षेत्रों का आरक्षण.गन्ना उत्पादक जो सहकारी चीनी कारखाने का सदस्य नहीं है.उसे अपनी पसंद के किसी भी कारखाने में गन्ने की आपूर्ति करने की अनुमति देने वाले प्रावधान.गन्ना उत्पादक सदस्य होने के नाते सहकारी चीनी कारखाने का.उनके द्वारा रखे गए शेयरों के अनुपात में सहकारी चीनी कारखाने को गन्ने की आपूर्ति करने और उन्हें अपनी पसंद के किसी भी कारखाने को अतिरिक्त गन्ने की आपूर्ति करने की अनुमति देने के प्रावधान अनुचित नहीं हैं.पुरुष निष्ठा से

दूषित नहीं.राज्य सरकार को आदेश पारित करने का अधिकार.चीनी ;नियंत्रणद्व आदेश 1966 के साथ टकराव में संशोधन आदेश.राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की मनमाने ढंग से.न ही एक ओर किसानों के हितों और दूसरी ओर सहकारी समितियों के हितों की रक्षा के लिए नीतिगत निर्णय के अनुसार किए गए कारखाने के मालिकों के संशोधन के खिलाफ कोई भेदभाव है.इसलिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.गन्ना ;नियंत्रण, आदेश, 1966.खंड 6।

महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखानों को गन्ने की आपूर्ति और गन्ना उत्पादकों को न्यूनतम मूल्य को विनियमित करने के लिए जारी किया महाराष्ट्र चीनी कारखाने ;क्षेत्रों का आरक्षण और पेराई और गन्ना आपूर्ति का विनियमनद्व आदेश 1984। इसके खंड 3 में संबंधित चीनी कारखानों के लिए गन्ना उगाने वाले आरक्षित क्षेत्र इस निषेध के साथ कि किसी भी चीनी कारखाने को उस कारखाने के लिए आरक्षित क्षेत्र को छोड़कर गन्ना उत्पादकों से गन्ना खरीदना या उसकी आपूर्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। खंड 5 में प्रावधान किया गया है कि उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में परमिट अधिकारी एक चीनी कारखाने को गन्ना खरीदने या उसके लिए आरक्षित क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों से गन्ना उत्पादकों से गन्ना की आपूर्ति स्वीकार करने की अनुमति देगा। 1984 के आदेश के विरुद्ध आपत्ति को रिट याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष दी गई थीए

अन्ततः इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी सक्कर कारखाना संघ लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्यए [1995, 3 एससीआर 377। उन्होंने कहा कि सरकार 1984 के आदेश के खंड 5 में संशोधन करने के लिए उचित कदम उठा सकती है ताकि गन्ना उत्पादकों की रक्षा की जा सके और मूल्य संरचना में सुधार के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जा सके। तदनुसारए राज्य सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त कीए लेकिन उक्त समिति ने इस प जोनिंग का पहलू पर विचार नहीं किया।

किसानों के आंदोलन के बादए सरकार ने जोनिंग पर निर्णय लेने के लिए एक और समिति नियुक्त की और उक्त समिति की सिफारिशों परए महाराष्ट्र सरकार ने गन्ना ;नियंत्रणद्ध आदेश के खण्ड 6 आैर 9 शक्तियों का प्रयोग किया। 1966 ए महाराष्ट्र चीनी कारखाना ;राइ और गन्ना आपूर्ति के क्षेत्रों का आरक्षणद्ध आदेश 1997 पारित किया गया। जिसमें 1984 के आदेश के खंड 3;2) में कुछ प्रावधान पेश करता है। संशोधन आदेश 1997 का प्रभाव यह था कि वे गन्ना उत्पादक, जो सहकारी समिति के सदस्य नहीं थेए अपनी पसंद के किसी भी कारखाने में अपने गन्ने की आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र होंगे और एक सहकारी समिति का सदस्य अपने पास रखे गए शेयरों के अनुपात में सहकारी चीनी कारखाने को गन्ने की आपूर्ति करेगा और अपनी पसंद के किसी भी कारखाने को अतिरिक्त गन्ना बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। इस संशोधन आदेश को अपीलकर्ता महाराष्ट्र राज्य

सहकारी सक्कर कारखाना संघ लिमिटेड और अन्य द्वारा आपति के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर किए जिसमें रिट याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि संशोधन आदेश किसी भी तरह से अवैध या अनुचित नहीं था और आदेश उन किसानों को गन्ने का बेहतर मूल्य दिलाने में सुनिश्चितका प्रतीक होगा जो किसी सहकारी चीनी कारखाने के सदस्य नहीं थे। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर की। बाद में कुछ अन्य मामलों को इस न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए दो स्थानांतरण याचिकाएं भी दायर की गईं।

अपीलकर्ताओं के लिए यह तर्क दिया गया था कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से एक प्रतिनिधि होने के नाते, चीनी नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 6 के खंड (1) के तहत शक्ति के प्रयोग में पारित किया जा रहा संशोधन आदेश, वहां के खंड 6(2) के लिए काउंटर नहीं चला सका, कि राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग किया और कारखाना मालिकों के साथ भेदभाव किया, अंत में कहा गया कि संशोधन पूरी तरह से अनुचित था और इससे सहकारी आंदोलन पर असर पड़ेगा।

इस न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुये अभिनिर्धारित किया।

1. यह नहीं कहा जा सकता कि महाराष्ट्र सरकार के पास महाराष्ट्र चीनी कारखाना (क्षेत्रों का आरक्षण, पेराई और गन्ना आपूर्ति का हस्त विनिमयन) (संशोधन) आदेश पारित करने की कोई शक्ति नहीं थी।

2. यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार ने 1984 के आदेश में संशोधन करने में मनमाने ढंग से काम किया है। ना ही फैक्ट्री मालिकों के साथ कोई भेदभाव किया जाता है। वास्तव में, इस न्यायालय ने अपने पहले फैसले में गन्ना उत्पादकों को दुर्दशा पर ध्यान दिया था और राज्य सरकार को 1984 के आदेश के खंड 5(1) में संशोधन करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था। इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने जोनिंग के पहलू पर विचार नहीं किया और खुद को गन्ने की कीमत तक ही सीमित रखा। वर्तमान संशोधन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अन्य समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार किया गया था ताकि सदस्य और गैर सदस्य गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें कारखाने के क्षेत्र के बाहर अपना गन्ना बेचने की अनुमति दी जा सके ताकि वे अपने गन्ने के लिए सबसे अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें। राज्य सरकार ने गन्ना उत्पादकों और विशेष रूप से जो सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए खंड 5(1) में संशोधन करने के बजाय खंड 3(2) में संशोधन किया है। (1195-ई, 1197-बी)

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साकार कारखाना संघ लिमिटेड एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1995) 3 एससीआर 377, संदर्भित।

3.1 मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस तर्क का कोई औचित्य नहीं है कि वर्तमान संशोधन से सहकारी प्रणाली प्रभावित होगी। यह उन किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से एक संतुलनकारी कार्य है जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं है। जी 1984 के आदेश के पारित होने के बाद राज्य सरकार को यह पता चला कि इसके प्रावधान सरकार को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं बना सके जिनके साथ इसे पारित किया गया था और इसलिए राज्य सरकार को 1984 के जोनिंग आदेश पर फिर से विचार करना पड़ा। (1197 एफ-जी)

3.2 यह भी बताया गया है कि विवादित संशोधन एक ओर किसान और दूसरी ओर सहकारी समितियों के हितों की रक्षा हेतु राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुरूप है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि विवादित आदेश दुर्भावना से प्रेरित है। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में हस्तक्षेप करना इस न्यायालय के लिए संभव नहीं है। आक्षेपित संशोधन में कुछ भी अनुचित नहीं है। (1198-डी-ई)

उच्च न्यायालय की फाइल पर लंबित कार्यवाही को इस न्यायालय में वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय इस निर्णय के अनुसार इन कार्यवाहियों का निपटान कर सकता है। (1198-एफ)

दिवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1998 की दिवानी अपीलीय संख्या 2369

बॉम्बे उच्च न्यायालय के 1997 के डबल्यू. पी. क्रमांक 3390 मे पारित निर्णय और आदेश दिनांक 15.10.97 से।

सहित

स्थानान्तरण याचिका (सी) क्रमांक 596/1997 एवं 6/98

भारत के संविधान के अनुच्छेद 139-ए (1) के तहत। एफ. एस. नरीमन. वी. ए. बोबडे. जी. एल. सांघी., एन. एन. गोस्वामी, रंजीत कुमार, सुश्री अनु मोहला, डी. एम. नागोळकर, ए. एस. भस्मे, मनोज कुमार मिश्रा (शरद जोशी) एस. वी. देशपांडे के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेपकर्ता, एस. सी. बिडला, वी के चैधरी सुभाष चैधरी, ए. एम. खानविलकर, विश्वजीत सिंह, टी. सी. शर्मा, सुश्री बीनू टम्टा और डी. एस. मेहरा उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश श्रीनिवासन. जे के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया।

अपील की अनुमति दी गई

अपीलकर्ता, बोम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उनकी रिट याचिकाओं को खारिज करने से व्यथित हैं, जिसमें अपीलकर्ताओं ने महाराष्ट्र चीनी कारखानों (क्षेत्रों का आरक्षण और पेराई और गन्ना आपूर्ति का विनियमन) (संशोधन) अक्टूबर, 1997 की वैधता को चुनौती दी थी। आदेश उप-सीएल (1) के पैराग्राफ (ए), (सी) और (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था यदि खंड 6 और उप-सीएल। (ए) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 9 को सरकार की अधिसूचना के साथ पढ़ें। भारत का, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और निगम मंत्रालय (खाद्य विभाग)। सं.जीएसआर. 1127 धईएसएस. कॉम. गन्ना, दिनांक 16 जुलाई 1966.

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1996 सरकार द्वारा पारित किया गया था। भारत के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत । इसके खंड 6 (ए), (सी) और (एफ) इस प्रकार हैं:

(ए) किसी भी क्षेत्र को जहां गन्ना उगाया जाता है (इसके बाद इस खंड में आरक्षित क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया गया है) कारखाने की पेराई क्षमता, आरक्षित क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता और चीनी के उत्पादन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक कारखाने के लिए आरक्षित किया जाएगा। , कारखाने को उसके लिए आवश्यक गन्ने की मात्रा खरीदने में सक्षम बनाने की दृष्टि से।





हुए, केंद्र सरकार ने 16 जुलाई 1966 को निम्नलिखित शर्तों में एक अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1966

जीएसआर 1127/इएसएस. कोम./गन्ना:- गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरकार की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए भारत के खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग)

क्रमांक जीएसआर में 263/इएसएस. कोम./गन्ना दिनांक 20 फरवरी, 1964, केंद्र सरकार निर्देश देती है कि उक्त आदेश के खंड 6,7,8 और 9 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियां, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पांडिचेरी के उपराज्यपाल, जैसा भी मामला हो, उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर, की राज्य सरकारों द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी।

सं.2(6)/66-एस.पी.वाई,

के.एल. पसरीचा, जे.टी. सचिव।

3. इस प्रकार चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 6 द्वारा केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उपरोक्त अधिसूचना में उल्लिखित राज्य सरकारों द्वारा भी किया जा सकता था, जिसमें महाराष्ट्र राज्य भी शामिल था। 1984 में, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र चीनी कारखाने (क्षेत्रों का आरक्षण और पेराई और गन्ना आपूर्ति का विनियमन) आदेश 1984 पारित किया। उक्त आदेश को पारित करने की आवश्यकता को आदेश की प्रस्तावना में ही विस्तार से निर्धारित किया गया था। उसे यहाँ पुनरुत्पादित करना अनावश्यक है।

4. उक्त आदेश का खंड 2(1) आरक्षित क्षेत्र को उस कारखाने से संबंधित अनुसूची में निर्दिष्ट कारखाने के लिए आरक्षित क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है। उसके खंड 3 और 5 निम्नलिखित शर्तों में हैं।

“3. क्षेत्रों का आरक्षण - (1) चीनी कारखानों की पेराई क्षमता और, आरक्षित क्षेत्रों में गन्ने की उपज, और चीनी के उत्पादन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र को इसके द्वारा आरक्षित किया जाता है उस अनुसूची में उल्लिखित कारखाने के लिए, उसे आवश्यक गन्ने की मात्रा खरीदने में सक्षम बनाने की दृष्टि से।

(2) इस आदेश के खंड 4 और 5 के प्रावधानों के अधीन, कोई भी चीनी कारखाना उस कारखाने के लिए आरक्षित क्षेत्र को छोड़कर, गन्ना उत्पादकों से गन्ना नहीं खरीदेगा या गन्ने की आपूर्ति स्वीकार नहीं करेगा।

5. गन्ने की आपूर्ति का विनियमन- (1) एक परमिट अधिकारी किसी चीनी कारखाने को खंड 3 के तहत उसके लिए आरक्षित क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों से गन्ना खरीदने या गन्ने की आपूर्ति स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है यदि वह संतुष्ट है कि इनमें से कोई भी निम्नलिखित परिस्थितियाँ मौजूद हैं-

(ए) कारखाने के लिए आरक्षित क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन पेराई के इष्टतम स्तर तक पहुंचने में सक्षम करने के लिए पर्याप्त नहीं होने की स्थिति में।

(बी) अन्य कारखानों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में गन्ने के अधिशेष उत्पादन की स्थिति में, जिसे वे कारखाने पेराई सत्र के दौरान पेराई करने में सक्षम नहीं हैं।

(सी) यांत्रिक खराबी, श्रमिक अशांति, तालाबंदी या किसी अन्य कारण से नजदीकी चीनी मिल बंद होने की स्थिति में।

(डी) किसी विशेष कारखाने के लिए आरक्षित क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों या गन्ना उत्पादकों द्वारा आपूर्ति में गिरावट की स्थिति में निम्नलिखित

कारणों में से किसी के कारण उक्त कारखाने में आना, यदि परमिट अधिकारी द्वारा उचित पाया गया हो -

(i) चीनी कारखाने द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान न करना या देर से भुगतान करना या

(ii) गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादकों और चीनी कारखाने के बीच समझौते से उत्पन्न चीनी कारखाने द्वारा किसी भी दायित्व को पूरा न करना या

(iii) जिससे गन्ना उत्पादकों या गन्ना उत्पादकों को नुकसान होता है

बशर्ते कि इस उप-खंड के तहत किसी भी कारण से कोई भी आदेश पारित करने से पहले, परमिट अधिकारी पार्टियों को देगा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

5. 1984 के उक्त आदेश की वैधता को बोम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। बोम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने दिनांक 23.9.1988 के अपने फैसले में राज्य सरकार को कुछ निर्देशों के साथ कार्यवाही का निपटारा किया। वह निर्णय इस न्यायालय में 1989 की सिविल अपील संख्या 522 आदि आदि में अपील का विषय था - महाराष्ट्र राज्य सहकारी साकार कारखाना संघ लिमिटेड और अन्य बनाम महाराष्ट्र

राज्य और अन्य। इस अदालत ने 18 अप्रैल, 1995 को अपने फैसले से उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों को रद्द कर दिया और राज्य सरकार के आदेश की वैधता को बरकरार रखा। निर्णय 1995 सप्लिमेंट में बताया गया है, (3) एससीसी 475। फैसले के पैराग्राफ 2 में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा जारी निर्देश और उनके कारण निम्नानुसार निर्धारित किए गए थे-

"2. पूर्ण पीठ द्वारा जारी निर्देश इस प्रकार हैं इसलिए हमारा विचार है कि जब तक इसमें निम्नलिखित प्रावधान नहीं किए जाते, राज्य का आदेश मान्य नहीं होगा-

(i) गन्ना उत्पादक जो उस कारखाने या कारखाने के सदस्य नहीं हैं, जहां उन्हें अपना गन्ना आपूर्ति करना आवश्यक है, उनके द्वारा आपूर्ति किए गए गन्ने के लिए उनके द्वारा आपूर्ति किए गए गन्ने के भुगतान की कीमत की गणना बिक्री की तिथि पर इलाके में प्रचलित बाजार दर परय किया जाए।

(ii) बाजार दर पार्टियों, अर्थात् गन्ना उत्पादक और संबंधित कारखाने या कारखानों के बीच सहमति के अनुसार हो सकती है। यदि इस पर कोई विवाद है, तो उसे एक स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा हल किया जाना चाहिए जिसे आदेश के तहत बनाया जा सकता है जैसे कि वर्तमान आदेश

के खंड 12 के तहत। संबंधित प्राधिकारी को पक्षों को सुनने के बाद और मौखिक आदेश द्वारा विवाद का शीघ्रता से निर्णय करना चाहिए।

(iii) फैक्ट्री द्वारा गन्ना उत्पादक को भुगतान की जाने वाली कीमत से उसकी सहमति के बिना किसी भी खाते में कोई अनधिकृत कटौती नहीं की जानी चाहिए। राज्य के आदेश में गन्ना उत्पादकों को सुनने और उन्हें शीघ्र राहत देने के लिए उपरोक्त के समान एक मशीनरी प्रदान की जानी चाहिए, यदि उनके पास इस संबंध में कोई शिकायत है।

इन निर्देशों के दो कारण थे, एक तो गैर-सदस्य सहकारी चीनी अधिनियम के तहत बनाए गए उपनियमों के तहत निर्धारित मूल्य से बंधे नहीं थे और दूसरा यह कि कीमत तय होने से पहले गैर-सदस्यों को सुनने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी जोनिंग आदेश में कोई मशीनरी नहीं थी। इस बात की जांच करने से पहले कि क्या ये कारण विवादित निर्देशों के लिए कानून में अच्छी तरह से स्थापित हैं, उस आवश्यकता को संक्षेप में बताना आवश्यक है जिसने केंद्र सरकार को चीनी उद्योग को संरक्षण देने और परिणामस्वरूप गन्ना उगाने वाले के ब्याज का त्याग किए बिना गन्ने की आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने के लिए बाध्य किया। ।

राज्य सरकार के आदेश के खंड 5 का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 36, 37 और 38 में इस प्रकार कहा-

36. खंड (5) उन स्थितियों को निर्धारित करता है जिनमें एक चीनी कारखाने को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा दूसरे चीनी कारखाने के क्षेत्र से गन्ना खरीदने की अनुमति दी जाएगी। यह अपने गन्ने की बिक्री के लिए परमिट मांगने वाले गन्ना उत्पादकों के लिए प्रावधान नहीं करता है किसी अन्य चीनी कारखाने में (उस कारखाने के अलावा जिसके क्षेत्र में वह स्थित हो सकता है) भले ही खंड में निर्धारित कोई भी या सभी शर्तें पूरी हों। एक ऐसा मामला लें जहां एक चीनी कारखाना उप-खंड (डी) में उल्लिखित सभी तीन अनियमितताओं में लिप्त है ) खंड (5) के अनुसार, यह उचित समय पर गन्ने की कीमत का भुगतान नहीं करता है, यह समझौते का पालन नहीं करता है जिससे गन्ना उत्पादकों को नुकसान होता है - फिर भी गन्ना उत्पादक इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं उसे अपना गन्ना जिसे भी पसंद हो उसे बेचने की अनुमति दें। संभवतः वह केवल शिकायत कर सकता है। लेकिन उसे कुछ राहत तभी मिलेगी जब कोई अन्य कारखाना होगा (जिसका निश्चित रूप से अपना स्वयं का क्षेत्र है) जो गन्ना खरीदने के लिए तैयार है यह क्षेत्र और इस क्षेत्र से गन्ना खरीदने के लिए परमिट अधिकारी को परमिट के लिए आवेदन करता है। यदि यह लागू नहीं होता है, तो पहले क्षेत्र का उत्पादक असहाय है। यह उत्पादकों के लिए उचित और उचित नहीं है। इसलिए, यह आवश्यक है कि राज्य सरकार जोनिंग आदेश में उचित रूप से संशोधन कर सकती है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि ऐसे मामले में जहां खंड 5



(डी) में उल्लिखित तीन परिस्थितियों में से कोई भी मौजूद है, गन्ना उत्पादकों के लिए इसे लागू करना खुला होगा। जोन के बाहर अपना गन्ना आपूर्ति करने की अनुमति के लिए निर्दिष्ट अधिकारी को। ऐसी स्थिति में, अधिकारी उस कारखाने को नामित करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है, जहां उत्पादक को अपना गन्ना बेचना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्पादक को वह मूल्य मिले जो उसके क्षेत्र में प्राप्त मूल्य से कम नहीं हो।

37. राज्य सरकार को अगले पेरार्ड सत्र शुरू होने से पहले, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में मूल्य निर्धारण में पारंगत अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मामले को सुलझाने की सलाह दी जाएगी। जोनिंग आदेश लागू होने के बाद यह कवायद जरूरी हो गई है। वास्तव में जब जोनिंग ऑर्डर पेश किया गया था तो उस समय राज्य को इन पहलुओं की जांच करानी चाहिए थी। हालाँकि, 1984 के बाद से मूल्य समीकरण में जबरदस्त उछाल आया है। वृद्धि कई गुना है। चीनी की ऊंची कीमत का लाभ उत्पादकों को भी मिलना चाहिए। इसलिए समिति जांच कर सकती है -

(ए) यदि पूरे राज्य के लिए राज्य सलाहित मूल्य का निर्धारण समान रूप से किया जाता है जैसा कि अन्य राज्यों में किया जा रहा है, या कम से कम अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग किया जाता है,

क्योंकि क्षेत्रों में सामान्य वसूली भिन्न होती है, तो यह अधिक व्यवहार्य होगा।

(बी) यदि अतिरिक्त कीमत 1966 के नियंत्रण आदेश की अनुसूची प्प में बताए गए तरीके से निकाली गई है तो यह उत्पादकों के लिए अधिक लाभप्रद और फायदेमंद है। यदि ऐसा है तो वह इसका विकल्प चुन सकता है क्योंकि इससे मंत्रिस्तरीय समिति की कठिन कवायद से बचा जा सकेगा और एकरूपता का लाभ मिलेगा।

(सी) समिति आगे जांच कर सकती है कि क्या इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के तहत गैर-उत्पादकों को कारखानों द्वारा भुगतान किया गया 600 रुपये 1995-96 के लिए उचित न्यूनतम मूल्य नहीं होगा और इसके निर्धारण के लिए आधार प्रस्तुत कर सकता है। भविष्य के वर्षों के लिए कीमत

(डी) यह चीनी कारखानों द्वारा उपज में सुधार करने और ओवरहेड खर्चों को कम करने और संभावित कागज हानि को खत्म करने के तरीके और साधन भी सुझा सकता है।

(ई) यह सरकार के हित में होगा कि वह समिति से यह जांच करने के लिए कहे कि क्या पूर्ण पीठ द्वारा अन्य संबंध में बताई गई कमियों को सुधारा और तर्कसंगत बनाया जा सकता है और

(च) समिति इस बात की जांच कर सकती है कि उपविधि 65 को गैर-सदस्यों पर लागू किया जाना चाहिए या नहीं।

38. यद्यपि समय बीतने के कारण, लगभग आठ या नौ वर्ष बीत जाने के कारण, मूल्य निर्धारण में अभी तक कोई कमी नहीं पाई गई है, क्योंकि इस मूल्य निर्धारण को चुनौती दी गई थी और चारों ओर मूल्य वृद्धि के साथ इन अपीलों का निपटान करना समीचीन प्रतीत होता है। अतीत और भविष्य दोनों के लिए सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश:

(i) फैसले के पैरा 25 में पूर्ण पीठ के निर्देश रद्द कर दिए जाएंगे।

(ii) राज्य सरकार गन्ना उत्पादकों की सुरक्षा के लिए जोनिंग ऑर्डर के खंड (5) में संशोधन करने के लिए उचित कदम उठा सकती है।

(iii) सरकार पहले बताई गई बातों के आलोक में मूल्य संरचना का अध्ययन और जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त कर सकती है।

(iv) भले ही राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कारखाने के लिए कीमत निर्धारित करने का आदेश बरकरार रखा गया हो, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप इस न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश दिया गया था और कारखानों को 600 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया

गया था। गन्ना उत्पादकों को 145 रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, यह निर्देश दिया गया कि कारखानों द्वारा भुगतान की गई राशि गन्ना उत्पादकों से वसूली के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। लेकिन अपीलकर्ताओं या चीनी मिलों द्वारा दी गई बैंक गारंटी उन्मोचित मानी जाएगी।

(v) यह स्पष्ट कर दिया गया है कि गैर-उत्पादकों से 600 रुपये की वसूली न करने का निर्देश सहकारी समिति के किसी भी सदस्य या स्वयं सहकारी समिति को यह दावा करने का अधिकार नहीं देगा कि वह अपने गन्ने के लिए 600 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। वर्षों से विवाद चल रहा है।

(vi) राज्य सरकार ने इस न्यायालय के निर्देशानुसार एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की, लेकिन उक्त समिति जोनिंग के पहलू में नहीं गई और खुद को गन्ने की कीमत तक ही सीमित रखा। राज्य में किसानों द्वारा एक आंदोलन किया गया था, जिनके अनुसार 1984 के सरकारी आदेश के कारण असंतोषजनक स्थिति पैदा हो गई थी, जिसमें संशोधन की आवश्यकता थी। राज्य सरकार ने जोनिंग पर निर्णय लेने के लिए 6.1.1996 को एक समिति नियुक्त की। समिति की अध्यक्षता राज्य के उप मुख्यमंत्री ने की। उस समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार ने 1984 के आदेश के खंड 3(2) में कुछ प्रावधानों को शामिल करके 1984 के

आदेश में संशोधन करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया। इसे इस प्रकार पढा जाता है:

महाराष्ट्र चीनी कारखानों में (क्षेत्रों का आरक्षण और पेराई और गन्ना आपूर्ति का विनियमन) आदेश, 1984, -

(i) खंड 3 में, शर्त संख्या (2) में, निम्नलिखित प्रावधान जोड़े जाएंगे: बशर्ते कि सहकारी चीनी कारखाने के मामले में, गन्ना उत्पादक जो सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं, वे अपनी पसंद के किसी भी कारखाने को अपना गन्ना आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र होंगे

बशर्ते कि सहकारी चीनी कारखाने का एक सदस्य सहकारी चीनी कारखाने के उपनियमों के अनुसार अपने द्वारा धारित शेयरों और गन्ने के अधीन क्षेत्र के अनुपात में उस सहकारी चीनी कारखाने को गन्ने की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा और वह होगा अपनी पसंद के किसी भी कारखाने को अतिरिक्त गन्ना, यदि कोई हो, की आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र रूप से उस आशय का समझौता या अनुबंध कर सकता है

बशर्ते कि गैर-सदस्य गन्ना उत्पादक, सहकारी चीनी कारखाने के मामले में और अन्य चीनी कारखानों के मामले में गन्ना उत्पादक इस आशय का समझौता या अनुबंध करके अपना गन्ना अपनी पसंद के किसी भी कारखाने में ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। यही प्रावधान अतिरिक्त गन्ने

या सहकारी चीनी मिलों के सदस्यों पर भी लागू होगा बशर्ते कि यदि कोई गन्ना उत्पादक अपने चीनी की आपूर्ति के लिए ऐसा समझौता करने में विफल रहता है, तो ऐसे गन्ने के निपटान की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसकी होगी। ऐसे किसी भी गन्ने की पेराई के लिए किसी भी चीनी कारखाने, सहकारी या अन्यथा या राज्य सरकार पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

7. यह उपरोक्त संशोधन है जिस पर अपीलकर्ताओं ने हमला किया है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें नहीं लगा कि विवादित आदेश किसी भी तरह से अवैध या अनुचित था और यह आदेश उन किसानों को बेहतर गन्ना मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतीत होगा जो किसी भी सहकारी चीनी कारखाने के सदस्य नहीं हैं। .

8. हमारे सामने, अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एफएस नरीमन ने तीन दलीलें पेश की हैं:

पहला तर्क यह है कि 16 जुलाई 1966 की अधिसूचना के तहत केंद्र सरकार से एक प्रतिनिधि होने के नाते राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा पारित चीनी (नियंत्रण) आदेश 1966 के साथ असंगत आदेश पारित करने का

अधिकार नहीं है। हमारा ध्यान आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 की ओर आकर्षित किया गया है और यह तर्क दिया गया है कि 1966 का चीनी (नियंत्रण) आदेश उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत एक होने के बावजूद उस अधिनियम के अलावा किसी भी अधिनियम में असंगत कुछ भी होने के बावजूद प्रभावी होगा। उस अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम के आधार पर प्रभाव रखने वाला कोई भी उपकरण। यह तर्क दिया गया है कि विवादित आदेश 16 जुलाई 1966 की अधिसूचना के साथ पढ़े गए चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 6 (1) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर रहा है और इसलिए यह खंड के उप-खंड 2 के विपरीत नहीं चल सकता है। 1966 के चीनी (नियंत्रण) आदेश के 6. उक्त खंड निम्नलिखित शर्तों में है:

प्रत्येक गन्ना उत्पादक, गन्ना उत्पादक सहकारी सोसायटी और फैक्ट्री, किसको या किसको पैराग्राफ के तहत एक आदेश दिया गया है (सी) उप-खंड (1) लागू होता है, जैसा भी मामला हो, पैराग्राफ के तहत किए गए समझौते के तहत कवर किए गए गन्ने की मात्रा की आपूर्ति या खरीद करने के लिए बाध्य होगा और गन्ना उत्पादक की ओर से कोई जानबूझकर विफलता होगी। , कारखाने की गन्ना उत्पादक सहकारी समिति द्वारा ऐसा किया जाना इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा: बशर्ते कि जहां किसी गन्ना उत्पादक सहकारी समिति द्वारा की गई चूक

किसी गन्ना उत्पादक की विफलता के कारण हो, ऐसी समिति का सदस्य होने के नाते, ऐसी समिति, ऐसे डिफॉल्ट का, कारखाने को गन्ने की आपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं होगी।

उनके अनुसार आक्षेपित संशोधन उपरोक्त खंड के विपरीत है।

9. हम विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। खंड 6(1) केवल उन मामलों को निर्धारित करता है जिनके संदर्भ में केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करके आदेश पारित कर सकती है। दिनांक 16.7.66 की अधिसूचना के आधार पर, राज्य सरकार को भी ऐसा करने का अधिकार है। चीनी (नियंत्रण) आदेश 1966 के खंड 6 का उप-खंड (2) खंड 6 के उप-खंड (1) के पैराग्राफ (सी) के तहत किए गए आदेश पर निर्भर है। माना जाता है कि कोई आदेश पारित नहीं किया गया है खंड 6(1)(सी) के तहत केंद्र सरकार। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, ऐसा आदेश राज्य सरकार द्वारा 1984 में किया गया था। 1984 के उक्त आदेश को राज्य सरकार के वर्तमान आक्षेपित आदेश द्वारा संशोधित किया गया है। हमारे सामने यह तर्क नहीं है कि राज्य सरकार के पास 1984 के आदेश में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है या 16.7.1966 की अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई शक्ति 1984 के आदेश और उसके बाद राज्य सरकार के पारित होने के साथ समाप्त हो गई। दूसरा आदेश जारी करने की शक्ति नहीं थी। इसलिए, इस तर्क में कोई



दम नहीं है कि राज्य सरकार के पास विवादित आदेश पारित करने की कोई शक्ति नहीं है।

10. इस तर्क में भी कोई दम नहीं है कि विवादित आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के विपरीत है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि उक्त आदेश खंड 6(1) में निर्धारित मामलों के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है। अतः प्रथम तर्क अस्वीकार किया जाता है।

11. दूसरा तर्क यह है कि राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग किया है और फैक्ट्री मालिकों के साथ भेदभाव किया है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, सरकारी आदेश, 1984 को बरकरार रखते हुए इस न्यायालय द्वारा 18 अप्रैल, 1995 के अपने फैसले में की गई विभिन्न टिप्पणियों को राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है और इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा भी वर्तमान में संशोधन करने हेतु अनुशंसा नहीं की गई। यह भी तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अन्य समिति के पास 30.8.1997 तक का समय था लेकिन दूसरी समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना अप्रैल में भी विवादित आदेश पारित कर दिया गया था। हम इस विवाद में कोई श्रेष्ठता नहीं देख पा रहे हैं। हम पहले ही उस परिस्थिति का उल्लेख कर चुके हैं कि 18 अप्रैल, 1995 के फैसले में इस

न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने जोनिंग के पहलू पर विचार नहीं किया था और खुद को गन्ने की कीमत तक ही सीमित रखा था। वर्तमान संशोधन 6.1.1996 को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार किया गया था। समिति द्वारा सुझाए गए वर्तमान संशोधन के कारण राज्य सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में इस प्रकार बताए गए हैं।

#### क्षेत्रीकरण आदेश 1984 में संशोधन के कारण

उपरोक्त तथ्यों की परिपेक्ष्य में राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वह सदस्यों और गैर-सदस्य गन्ना उत्पादकों को कारखाने के क्षेत्र के बाहर अपना गन्ना बेचने की अनुमति देकर उनके हितों की रक्षा करे ताकि वे उसके गन्ने के लिए सबसे अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें। ऐसा करना आवश्यक था क्योंकि यह पाया गया था कि

1. जिस मौसम में उनकी क्षमता से अधिक गन्ना होता है, तब वह गैर सदस्यों की पूरी तरह उपेक्षा करते हैं।
2. इस स्थिति में सदस्य भी अपने शेयरों की सीमा तक ही सीमित रहते हैं।
3. एक ही गांव में दो अलग-अलग फैक्टरियों में गन्ने की कीमत में बड़ा अंतर 300 रुपये प्रति मीट्रिक टन (आर-7) तक हो जाता है।

4. संशोधन केवल पहले के जोनिंग आदेश 1984, खंड 5(1) (डी) (पैरा 50) का विस्तार है

5. राजनीतिक कारणों से और गैर-गन्ना उत्पादकों के पक्ष में दी गई सदस्यता के कारण भी गैर-सदस्यों को नामांकित करने में कारखानों की विफलता।

6. गैर-सदस्य सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं अर्थात् बीज, उर्वरक, उपकरणों की आपूर्ति, ड्रिप और स्प्रींकलर सिंचाई के लिए प्रोत्साहन, ऋण सुविधाएं और रियायती दर पर चीनी की आपूर्ति से वंचित हैं।

7. 1995-96 से 1997-98 के पेटाई सत्र में गन्ने की खेती में चिंताजनक गिरावट, 560 लाख मीट्रिक टन से घटकर 312 लाख मीट्रिक टन रह गई।

8. वर्ष 2000 में भारत में गन्ने का अनुमानित उत्पादन 2000 लाख मीट्रिक टन होगा और महाराष्ट्र में लगभग 800 लाख मीट्रिक टन बढ़ने की उम्मीद है।

9. गन्ने से हटकर अन्य फसलों जैसे सोयाबीन, कपास और बागवानी फसलों की ओर रुख करने की प्रवृत्ति है, जो राज्य का 100

प्रतिशत सब्सिडी कार्यक्रम है। बागवानी विकास के अंतर्गत यह क्षेत्र लगभग पाँच गुना बढ़ गया है (पैरा 15)।

10. इन कारखानों में लगभग 90 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार का है (पैरा 5)।

11. चीनी मिलों के बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन के कारण गन्ने की कीमत कानून में बदल गई और गन्ने की खेती में गिरावट आई (पैरा 13)।

12. पिछले 13 वर्षों के दौरान जोनिंग से वांछित परिणाम नहीं मिले हैं।

12. उपरोक्त के मद्देनजर, इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि राज्य सरकार ने 1984 के आदेश में संशोधन करके मनमाने ढंग से काम किया है। न ही फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कोई भेदभाव है। वास्तव में, इस न्यायालय ने 18 अप्रैल, 1995 को अपने फैसले में गन्ना उत्पादकों की दुर्दशा पर ध्यान दिया और राज्य सरकार को जोनिंग ऑर्डर के खंड 5(1) में संशोधन करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। (पहले से ही उद्धृत निर्णय के पैराग्राफ 37 और 38 देखें)। राज्य सरकार ने उत्पादकों और विशेष रूप से उन किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए धारा 5 में संशोधन करने के बजाय धारा 3(2) में संशोधन किया है जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं।

13. तीसरा तर्क यह है कि संशोधन पूरी तरह से अनुचित है और यह सहकारी आंदोलन को समाप्त कर देगा। इस तर्क के समर्थन में, इस न्यायालय द्वारा 18 अप्रैल 1995 के अपने फैसले के पैराग्राफ 30 में की गई निम्नलिखित टिप्पणी को आधार लिया गया है-

30. दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली, एक, सदस्यों के लिए और दूसरी गैर-सदस्यों के लिए या गैर-सदस्यों को अपनी पसंद की फैक्टरी को बेचने का विकल्प, जोनिंग अवधारणा के लिए नकारात्मक हो सकता है और राज्य में सहकारी आंदोलन को प्रभावित कर सकता है। डॉ. सिंघवी सही हो सकते हैं कि जोनिंग आदेश जारी होने से पहले भी सहकारी आंदोलन था और समाज के एक सदस्य को जो लाभ मिलता है, उसके परिणामस्वरूप सिस्टम बड़े पैमाने पर प्रभावित नहीं हो सकता है, लेकिन कोई भी नीति जिसमें सिस्टम को बुरी तरह से हिलाने की प्रवृत्ति होती है उससे बचना चाहिए।

यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान संशोधन में सहकारी प्रणाली को व्यावहारिक रूप से रद्द करने का प्रभाव है।

14. हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हमें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस तर्क का कोई औचित्य नहीं मिलता कि

वर्तमान संशोधन से सहकारी प्रणाली प्रभावित होगी। हमने पाया कि यह उन किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से एक संतुलनकारी कार्य है जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं। 1984 के आदेश के पारित होने के बाद राज्य सरकार द्वारा यह पाया गया कि इसके प्रावधान सरकार को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं बना सके जिनके साथ इसे पारित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में उन विभिन्न परिस्थितियों को विस्तार से बताया गया है जिसके कारण राज्य सरकार को 1984 के जोनिंग आदेश पर फिर से विचार करना पड़ा। हमारा ध्यान सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे की ओर भी आकर्षित किया गया है। भारत की ओर से राज्य सरकार द्वारा उठाए गए रुख का पूरा समर्थन किया गया है। उक्त प्रति-शपथपत्र का पैराग्राफ 9 इस प्रकार है

9. मैं आगे प्रस्तुत करता हूँ कि प्रत्येक चीनी कारखाने के लिए गन्ना क्षेत्रों की जोनिंग या आरक्षित करने का इरादा किसी भी चीनी कारखाने पर कोई एकाधिकार स्थापित करना नहीं है, बल्कि केवल किसानों, चीनी-कारखानों और बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं दोनों के हितों की पूर्ति करना है। गन्ना उत्पादन की कमी के समय और अधिशेष के वर्षों में। मैं आगे प्रस्तुत करता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार को 19 नवंबर, 1997 के आदेश को तब तक लागू करने की अनुमति दी जा सकती है जब तक कि

भारत सरकार द्वारा श्री बी.बी. महाजन की अध्यक्षता में विभिन्न कानूनों की जांच के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट न आ जाए। भारत में चीनी उद्योग को गन्ने के वैधानिक न्यूनतम मूल्य के निर्धारण सहित प्राप्त जानकारी प्राप्त है और इस मामले में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है।

15. हमें यह भी बताया गया है कि विवादित संशोधन एक ओर किसानों और दूसरी ओर सहकारी समितियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि विवादित आदेश दुर्भावना से प्रेरित है। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। हमें विवादित संशोधन में कुछ भी अनुचित नहीं लगता।

16. परिणामस्वरूप, हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हैं और अपील को खारिज करते हैं।

17. स्थानांतरण याचिकाएं उपरोक्त अपील के साथ सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय की फाइल पर लंबित कार्यवाही को स्थानांतरित करने के लिए हैं। हमें उन कार्यवाहियों को इस न्यायालय में वापस लेने की कोई

आवश्यकता नहीं लगती। अब जब हमने उपरोक्त तरीके से अपील का निस्तारण कर दिया है, तो उच्च न्यायालय इस निर्णय के अनुसार उसके समक्ष लंबित कार्यवाही का निस्तारण कर सकता है।

18. सिविल अपील और स्थानान्तरण याचिकाएं खारिज की जाती हैं।  
लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा। आर.पी.

अपील एवं स्थानान्तरण याचिका खारिज।

नोट:- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार मीना, द्वितीय (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने की सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।